

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापुर

(पीठासीन अधिकारी केम्प स्थल *आमली*)

प्रकरण संख्या 03/2021

निर्णय दिनांक 12/10/2021

राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजेश सुवालका बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी *आमली* व भू0अ0नि0 *आमली* की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम *शमरन नगा* तहसील सहाड़ा व जिला बीतवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 29, 1 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	शमरन नगा	29	अ.नं. $\frac{3624}{4270}$ रकम 0.31	$\frac{3624}{4270}$ रकम 0.31
		1	अ.नं. $\frac{3624}{4270}$ रकम 0.24	$\frac{3624}{4270}$ रकम 0.24

न

Raj
(राजेश सुवालका)
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
गंगापुर (बीतवाड़ा)
पदेन सहा.कलेक्टर, गंगापुर

प्रकरण संख्या 03/2021

दिनांक 12/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी *श्री गिरधारी जे. मेवा जे. श्री आमली* को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

Raj
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी एवं)
पदेन गंगापुर (बीतवाड़ा)
कलेक्टर, गंगापुर